झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–42 वर्ष 2017

घनश्याम कुमार मेहता .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री अफाक रशीदी, अधिवक्ता।

राज्य के लिए:– श्री शेखर सिन्हा, ए0पी0पी0।

07/31.07.2017 याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अफाक रशीदी और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए0पी0पी0 को सुना।

यह आवेदन आपराधिक अपील संख्या 50/2016 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग द्वारा दिनांक 05.12.2016 को पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत और जिसके द्वारा विद्वान प्रधान दण्डाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, हजारीबाग द्वारा दिनांक 05.10.2016 को इचाक थाना काण्ड संख्या 23/2016 से उद्भूत जी0आर0 संख्या 180/2016 में याचिकाकर्ता की जमानत के लिए की गई प्रार्थना को अस्वीकार करने के पारित आसदेश की पुष्टि की गई है।

याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि याची को परिस्थितियों का शिकार बनाया गया है क्योंकि जब वह मेला देखने के लिए इचाक जा

रहा था तो उसे ऑटो में विस्फोटक पदार्थों के पैक होने की जानकारी नहीं थी और पुलिस द्वारा की जा रही तलाशी में कई विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए। याची के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि सामाजिक जांच रिपोर्ट याचिकाकर्ता के प्रतिकूल नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि याची 21.01.2016 से रिमांड होम में है।

राज्य के लिए उपस्थित विद्वान ए0पी0पी0 ने याचिकाकर्ता द्वारा जमानत के लिए की गई प्रार्थना का विरोध किया है।

सामाजिक जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता इचाक में मेला देखने के लिए कुछ अन्य लोगों के साथ गया था। विस्फोटक पदार्थों के परिवहन में याचिकाकर्ता की सक्रिय भागीदारी होने का कुछ भी साक्ष्य सामने नहीं आया है। सामाजिक जांच रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता की कोई बुरी आदतें नहीं हैं। याचिकाकर्ता एक वर्ष और छह महीने से अधिक समय से रिमांड होम में है। याची के पिता ने वचनबंध दिया है कि वह याची का ध्यान रखेगा और उसे असामाजिक तत्वों के साथ आने की अनुमति नहीं देगा। आरोप जैसा कि ऊपर कहा गया है, विस्फोटक सामग्रियों के परिवहन में याचिकाकर्ता की वास्तविक भागीदारी की ओर संकेत नहीं करता है। विद्वान न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर उचित रूप से विचार नहीं किए जाने के कारण, आपराधिक अपील संख्या 50/2016 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग द्वारा दिनांक 05.12.2016 को पारित आदेश और विद्वान प्रधान दण्डाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, हजारीबाग द्वारा दिनांक 05.10.2016 को इचाक थाना काण्ड संख्या 23/2016, जी0आर0 संख्या 180/2016 के अनुरूप है, में पारित आदेश को अपास्त करते हुए, याचिकाकर्ता को

इचाक थाना काण्ड संख्या 23/2016 जो जी0आर0 संख्या 180/2016 के अनुरूप है, के संबंध में विद्वान प्रधान दण्डाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, हजारीबाग की संतुष्टि के लिए 10,000/– (दस हजार) रूपये के जमानत बंध के साथ समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, इस शर्त के साथ कि याचिकाकर्ता के पिता याचिकाकर्ता को एक सुरक्षित स्थान पर रखेंगे और उसे किसी भी आपराधिक व्यक्ति से मिलने की अनुमति नहीं देंगे और आगे निर्देश दिया जाता है कि वह संबंधित मामले में जांच पूरी होने तक प्रत्येक/नियत तारीख को विद्वान प्रधन दण्डाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, हजारीबाग के समक्ष याचिकाकर्ता को पेश करें।

निचले न्यायालय के अभिलेखों को तुरंत निचले न्यायालय में वापस भेज दिया जाए।

यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

(आर0 मुखोपाध्याय, न्याया0)